संख्या-03/2015/309/58-2015-37/2015

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक: 03 फरवरी, 2015**

विषय: नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू0 12773 हजार के व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 317-18/बजट आयोजनागत/2014-15 दिनांक 22.1.2015 के संदर्भ में तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 3244/12-3:2014-100(58)/ 2013टी0सी0 दिनांक 19.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू0 12773 हजार (रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.01.2015 में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-**

1- व्यय निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा।

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	अवमुक्त धनराशि
83	**2402-मृदा तथा जल संरक्षण- आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-0101-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के0100/रा.0-के.)**	**27-सब्सिडी**	**11963**
		42-अन्य व्यय	**611**
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**199**
		योग-	12773

(रू0-एक करोड़ सत्ताईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत प्रश्नगत योजना/मद पर ही किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

5- अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

6- अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-03/2015/309(1)/58-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत:-

(1) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in